

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या -1

(सत्यानन्द ड़िमरी राजकीय पॉलीटेक्निक पॉटी बड़कोट (उत्तरकाशी), उत्तराखण्ड)
प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत संगठन की विशिष्टियां, कृत्य एवं कर्तव्य

संस्था की स्थापना उत्तराखण्ड शासन के प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग के पत्रांक 483/XLI-1/प्रा0शि0/2011-20/11 दिनांक 03-05-2011 के द्वारा उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत पॉटी बड़कोट में सत्यानन्द ड़िमरी राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान को स्थापित किया गया है। इस संस्था में प्राविधिक शिक्षा के अन्तर्गत सिविल इंजीनियरिंग एवं आई0टी0, डिप्लोमा स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का संचालन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) नईदिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। वार्षिक परीक्षाओं के संचालन एवं डिप्लोमा (पत्रापदि उपाधि) प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है जो की रूड़की में स्थित है परीक्षा एवं डिप्लोमा तथा पाठ्यचार्य सम्बन्धी समस्त कार्य एवं प्रवेश सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया का संचालन कार्यान्वयन उक्त परिषद् द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की द्वारा परीक्षाएं सेमेस्टर पद्धति द्वारा संचालित की जा रही है। इस अभिवन प्रयोग से छात्रों को कम समय में अधिक विषयवस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है तथा आधुनिकीकरण के फलस्वरूप नित्य नये प्रयोगों से परिवर्तित संशोधित पाठ्यचर्या के समावेश में सुविधा मिल जाती है। संस्था में सिविल इंजीनियरिंग एवं आई0टी0 पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है तथा प्रवेश क्षमता 60 एवं 30 है।

मैनुअल संख्या-2 (धारा 4(1)(ख)(ii))

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

क्र०सं०	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
01	प्रधानाचार्य	संस्था के पठन-पाठन से लेकर साज-सज्जा, उपकरणों के क्रय मरम्मत, सफाई व्यवस्था तथा छात्र कल्याण सम्बन्धी समस्त कार्यों को करवाने की शक्तियां निहित होती है। संस्था के दैनिक कार्यकलापों की गतिशीलता हेतु उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की नियुक्ति एवं दण्ड देने का अधिकार है। अन्य अधिनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों के हितार्थ आकस्मिक अवकाश, वेतन आहरण एवं वितरण का कार्य, अस्थाई सामान्य भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृत एवं अराजपत्रितकर्मियों को उपार्जित अवकाश एवं चिकित्सावकाश की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार करने का अधिकार होता है। तथा समस्त कर्मियों के अनेक कार्य एवं आचरण से सम्बन्धित वार्षिक गोपनीय आख्या लिखना एवं संस्था हित में उठाये जाने वाले कदमों की शक्तियां प्रदत्त हैं।
02	विभागाध्यक्ष	ए0आई0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार 18 वादनों तक एवं परिषद् के नियमानुसार छात्रों को पाठ्यचार्य, व्याख्याताओं एवं अन्य शिक्षकों से अध्यापित करवाना / प्रयोगशालाओं / कर्मशालाओं एवं अन्य अभिकरणों को सुचारु रूप से संचालित करवाना, छात्रों के अनुशासन संबंधित निर्णय लेने की शक्तियां एवं कर्तव्य प्रदत्त है। विभागाध्यक्षों को अपने विभाग की व्याख्याताओं की गोपनीय आख्या प्रधानाचार्य को संस्तुत करने का अधिकार है।
03	व्याख्याता	संस्था में व्याख्याता एक महत्वपूर्ण पद होता है उसे शिक्षण की प्रत्येक विधा से संपर्क रखना होता है। परीक्षा सम्पन्न कराना, मूल्यांकन करना, प्रश्न पत्र निर्माण, पाठ्यचार्य संशोधन में सहभागिता करना, परिषदीय उड़ाका दल एवं स्थानीय उड़ाका दल में सम्मिलित होकर परीक्षाएं स्वस्थ एवं सुचारु रूप से कराना। सम्बन्धित प्रयोगशाला में उपस्थित रहकर छात्र-छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना, दविषय वस्तु से सम्बन्धित द्वारा उनके ज्ञानात्मक पहलू का मौखिक अनवरत रूप से आंकलन कर उनका मूल्यांकन करना होता है इसके अतिरिक्त समय पर संस्था प्रशासन द्वारा सौंपे दायित्वों का निर्वाहन करना भी होता है शासन/विभाग ने उसे समुचित अधिकार भी प्रदान किये हैं। व्याख्याता एक द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी होता है।
04	कर्मशाला अनुदेशक	कर्मशाला अनुदेशक अपने कर्मशाला अधीक्षक के अन्तर्गत कार्य करते हैं तथा उसके निर्देशन में विभिन्न कार्यशालाओं का संचालन करते हैं तथा छात्र/छात्राओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। एवं प्रधानाचार्य द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।
05	पुस्तकालयाध्यक्ष	संस्था में एक पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक योग्यताधारी पुस्तकालयाध्यक्ष होता है। संस्था में प्राविधिक / अप्राविधिक, वास्तुकला, विज्ञान, गणित साहित्य, अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक विधाओं

		कम्प्यूटर, आई0टी0 अनुवांशिकि, अभियांत्रिकी इत्यादि एवं विभिन्न पत्र, जर्नल, समाचार पत्र इत्यादि उपलब्ध रहती है। जिन्हें संस्था के छात्र-छात्रों को पाठन हेतु उपलब्ध कराना होता है।
06	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	संगणक प्रयोगशाला के सफल संचालन हेतु तथा अभियांत्रिक की विभिन्न शाखाओं एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिक की शाखा के छात्र-छात्राओं को समुचित व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु इनकी नियुक्ति की जाती है। आजकल कम्प्यूटर की जानकारी सभी विधाओं में आवश्यक हो गयी है। अतः कम्प्यूटर कार्मिक का दायित्वों का निर्वहन छात्र हित में होती है।
07	कार्यालय स्टाफ	संस्था में वैयक्तिक सहायक, प्रधान सहायक, प्रवर सहायक, कनिष्ठ सहायक, लेखाकार, छात्र लिपिक, टंकण लिपिक इत्यादि होते हैं। इन कार्मिकों की सहायता से प्रधानाचार्य संस्था के सभी अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली, अन्य अभिलेख, सामान्य भविष्यनिधि एवं विवरण तैयार कराते हैं तथा समस्त स्टाफ के समस्त कार्य कार्यालय द्वारा ही सम्पादित होते हैं। समय पर वेतन बिल का निर्माण एवं कार्मिकों में उसके भुगतान से लेकर अन्य मौद्रिक कार्य इन्हीं की सहायता से प्रधानाचार्य सम्पन्न करते हैं। इन्हें सहायक स्टाफ भी कहते हैं। कार्यालय स्टाफ जितना अधिक कुशल, गतिशील होगा उसी अनुपात में कार्मिकों के प्रकरण निष्पक्ष भाव से निपटाये जाते हैं।
08	चतुर्थ श्रेणी	संस्था में प्रत्येक शाप, प्रयोगशाला, कर्मशाला, कार्यालय, छात्र कल्याण, भंडार पुस्तकालय हेतु कार्य गतिशीलता हेतु मानक के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं। वर्तमान में सत्यानन्द डिमरी राजकीय पॉलीटेक्निक पॉटी बड़कोट में 04 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। इनका कार्य, व्याख्याताओं, अनुदेशकों की मदद करना है जिससे वे छात्र-छात्राओं को भलि-भांति एवं कुशलता से व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर सकें। इनका दायित्व, कर्मशाला, प्रयोगशाला, शॉप इत्यादि की सफाई, मशीन एवं अन्य उपकरणों की नियमित सफाई तथा प्रत्येक इकाई की जानकारी रखकर उसे अनुदेशक, व्याख्याता, कर्मशाला अधीक्षक या संबंधित अधिकारी को देना होता है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों एवं अन्य आगुन्तकों के साथ विनम्रता का व्यवहार कर उन्हें जल प्रस्तुत करना तथा मेजों कुर्सियों इत्यादि की सफाई कर एक शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करना होता है। डाक व्यवस्था, कोषागार संबंधी कार्य, निदेशालय के त्वरित कार्य, दूरभाष सुनना तथा सम्बन्धित अधिकारियों की सहायतार्थ तत्पर रहना इनके दायित्व में आता है। इनके नियुक्ति अधिकारी संस्था के प्रधानाचार्य होते हैं। इन्हें नियंत्रण करने के समस्त अधिकार संस्था के प्रधानाचार्य को प्राप्त होते हैं।

मैनुअल संख्या 3 धारा 4 (1)(ख)(iii)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

संस्था के प्रधानाचार्य को लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है। प्रधानाचार्य अपने कृत्यों का निर्वहन, शासन द्वारा शासकीय कार्यों के सफल संचालन एवं नियमबद्ध तरीके से करने के लिए बनाये गये वित्तीय हस्त पुस्तिकायें, सुगम सेवा नियमावलियों, शासनादेश संग्रहों के नियमों के अनुसार करता है।

प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित नियमों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन आहरण तीन माह के मूल वेतन की धनराशि के बराबर जी0पी0एफ0 अग्रिम स्वीकृत, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति(अधिकृत कमेटी गठित कर) तृतीय श्रेणी लिपिक वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/ प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाता है। तृतीय श्रेणी प्रशिक्षक वर्ग एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों का समयमान वेतनमान/ प्रोन्नतवेतनमान हेतु संस्तुति उच्चधिकारियों / निदेशक/ शासन को की जाती है

प्राधिकारी के अधीनस्त कर्मियों द्वारा भी नियमों/ अनुदेशों के उक्त अभिलेखों में निर्देशित नियमों का अनुपालन करते हुए कृत्यों का निर्वहन किया जाता है। जैसे व्याख्याताओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार कम से कम 18 वादन लेना, छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान कराना, उपस्थिति पंजिका को अद्यावधि रखना, शिक्षक डायरी का रख रखाव छात्रों को अनुशासित रखने में प्रेरक की भूमिका का निर्वहन करना। समय पर पाठ्यकी समयानुसार समीक्षा कर उच्च शैक्षिक अधिकारियों को संसूचित करना। पुस्तकालय में उपलब्ध संदर्भ पुस्तकों एवं जर्नलों को पूर्ण उपयोग कर आधुनिक, प्राविधिक एवं विधाओं से अवगत रहकर छात्रों को प्राविधिकी एवं ज्ञान का हस्तांतरण करना

मैनुअल संख्या 4 धारा 4 (1)(ख)(iv)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

सम्प्रति संस्था स्तर पर जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए अभी तक कोई विधिवत व्यवस्था नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता महसूस की गई है जनता का एक मात्र प्रतिनिधि या लोक सेवक प्राविधिक शिक्षा परिषद् का नामित सदस्य होता है एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद् के समस्त कार्य कलापों में उसक संस्तुति ली जाती है। तदनुसार परिषद संस्थाओं का संचालन करती है। फिर भी यदि शासन चाहे तो प्राविधिक शिक्षा के उन्नयन हेतु जनता के किसी समभ्रान्त शिक्षा विद के हितार्थ जनता से जोड़ सकता है।

वैसे सत्यानन्द डिमरी राजकीय पॉलीटेक्निक बड़कोट में एक संस्था प्रबंध समिति गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष प्रधानाचार्य सदस्य सचिव है जो समय समय पर पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम प्रयोगशालाओं/ कर्मशालाओं की समस्त कार्यकलापों का अनुश्रवण करते हुए छात्रों को उद्योगों में समावेश हेतु अपना सुझाव देता है तथा स्थानीय प्रवेश, कच्चे माल, संसाधन एवं आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण में भी सहायता देता है।

मैनुअल संख्या 5 धारा (1)(ख)(v)

संस्था द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन के लिए

प्रयोग गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख।

क्र०सं०	शासनादेश / संख्या आदेश	संक्षिप्त विवरण
01		सत्यानन्द डिमरी राजकीय पॉलीटेक्निक पॉंटी बड़कोट उत्तरकाशी की स्थापना

मैनुअल संख्या 6 धारा 4 (1)(ख)(vi)

संस्था द्वारा अपने ऐसे दस्तावेजों के जो उत्तराखण्ड लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, के अनुसार विवरण

संस्था के प्रधानाचार्य को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाता है। शासकीय कार्यों का सुचारु रूप से एवं नियम संगत प्रक्रिया के अनुरूप सम्पादित करने हेतु प्रधानाचार्य द्वारा कार्यालय सहायकों को कार्य आवंटित किया जाता है तथा कार्यालय सहायकों द्वारा समस्त दस्तावेजों का प्रवर्ग वार रख रखाव किया जाता है जो कि प्रधानाचार्य के नियंत्रणाधीन होते हैं।

क्र०सं०	प्रवर्ग	दस्तावेज अभिलेख
01	स्थापना	समस्त अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति पंजिकायें। समस्त अधिकारी / कर्मचारी की सेवा पुस्तिका पंजिकायें। समस्त अधिकारी / कर्मचारी की जी०पी०एफ० व एन०पी०एस० पंजिकायें। शासनादेशों की गार्ड फाइल निदेशालय / परिषद / शासन से पत्राचार सम्बन्धित विभिन्न विभागों से विविध प्रकार के पत्राचार की पत्रावलियों ए०आई०सी०टी०ई० से सम्बन्धित पत्रावली।
02	लेखा	कैश बुक, कोषागार चैक पंजिका, भुगतान पंजिका, प्रासंगिक व्यय सम्बन्धी पंजिका, इलेवन - सी पंजिका, वेतन बिल पंजिका, स्टॉक बुक पंजिका, कोषागार पंजिका, सामान्य भविष्य निधि पासबुक क्रय सम्बन्धी, कोषागार से पत्र व्यवहार पत्रावलियों, बजट पत्रावली, व्यय विवरण पंजिका, महालेखाकार से व्यय पत्रावली, महालेखाकार ऑडिट पत्रावली।
03	भण्डार	भण्डार सम्बन्धी
04	छात्र सम्बन्धी	छात्र से सम्बन्धित प्रकरण
05	भवन सम्बन्धी	भूमि व भवन सम्बन्धित प्रकरण
06	गोपनीय	गोपनीय प्रकरण
07	सामान्य	पत्र प्राप्ति पंजिका, पत्र निर्गमन पंजिका, प्रकाशन सम्बन्धी पत्रावली, पत्र निर्गत व्यय विवरण पंजिका।

मैनुअल संख्या 7 धारा 4 (1)(ख)(vii)

लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	लोक सूचना अधिकारी नामित
01	श्री जयपाल सिंह तोमर	प्रधानाचार्य	लोक सूचना अधिकारी
02	श्री धीरज कुमार बनवाल	विभागाध्यक्ष आई०टी०	सहायक लोक सूचना अधिकारी

मैनुअल संख्या 8

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उतरदायित्व के स्तर पर) वैसे तो किसी भी प्रकार के मामलों में निर्णय लेने/ निपटान करने के लिए शासन द्वारा शासनदेशों एवं नियमों के माध्यम से निर्देश प्राप्त होते हैं। फिर भी किसी प्रकरण में निर्णय लेना एक अधिकारी के व्यक्तिगत उसके ज्ञान एवं निष्पक्षता पर निर्भर करता है। इस संस्था के प्रधान पर शैक्षिक अधिकारी होता है। अतः उसके अन्दर आचार्यत्व सनिहित होता है। उसे गुण/दोषों के आधार पर संस्था की समस्त इकाइयों के कार्यकलापों का निरीक्षण एवं परिवेक्षण करने का पूर्ण अधिकार है।

किसी भी प्रकरण के आने पर सर्वप्रथम सम्बन्धित प्रकरण संस्था द्वारा निर्मित सम्बन्धित समिति को अग्रसारित किया जाता है। समिति की रिपोर्ट आने पर संस्था प्रधान द्वारा उसका अध्ययन स्वयं के स्तर पर भी किया जाता है एवं परोक्ष रूप से तथ्य तक पहुंचने के लिए पूर्ण जानकारी ली जाती है पूर्ण पारदर्शिता रखते हुए जैसे की पूर्व में बताया गया है संस्था प्रधान नियमानुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकरण का निपटान करते हैं। और उसकी एक प्रति सूचनार्थ सूचना पर पर लगा दी जाती है। जो प्रकरण संस्था प्रधान के स्तर से बाहर के होते हैं उन्हें अपने संक्षिप्त आख्या के साथ उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिये जाते हैं। छात्रों के प्रत्येक प्रकार के प्रकरण का संबन्धित समिति की संस्तुति पर दृष्टिकोण में प्रधानाचार्य द्वारा निपटान किया जाता है तथा अन्य गतिविधियों जैसे पठन-पाठन, सफाई, पेयजल, समय अनुसार समस्त पत्राचार इत्यादि का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दैनिक स्तर पर प्रधानाचार्य या उसके द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

मैनुअल संख्या 9

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

वर्तमान में संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के निम्नानुसार/कर्मचारी कार्यरत ।

क्र० सं०	पाठ्यक्रम	नाम	पदनाम
01	सिविल	श्री जयपाल सिंह तोमर	विभागाध्यक्ष सिविल
02	आई०टी०	श्री धीरज कुमार बनवाल	विभागाध्यक्ष आई०टी०
		श्रीमति शालिनी	व्याख्याता आई०टी०
03	रसायन	श्री मनमोहन सिंह	व्याख्याता रसायन
04	भौतिकी	सुश्री सुप्रिया रावत	व्याख्याता भौतिकी
05	कर्मशाला अनुदेशक	श्री किरण कुमार	कर्मशाला अनुदेशक
		श्री प्रवेश कुमार	कर्मशाला अनुदेशक
06		श्रीमती दुर्गी देवी	अर्दली (रा०पा० उत्तरकाशी से समबद्ध)
07		श्री अनोप सिंह चौहान	पी०आर०डी०
08		श्री खजान लाल	पी०आर०डी०
09		श्री मनमोहन	पी०आर०डी०
10		श्री कुलदीप	पी०आर०डी०
11		श्री यशवीर सिंह भण्डारी ।	पी०आर०डी०
12		श्री मानेन्द्र सिंह भण्डारी	पी०आर०डी०
13		श्री विरेन्द्र नाथ	पी०आर०डी०

संस्था में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग से कोई निर्देशिका तो नहीं बनाई गई है, लेकिन आवश्यकतानुसार शासकीय कार्यों के सफल एवं पारदर्शी संचालन हेतु समय पर निर्देश जारी किये जाते हैं।

शासन द्वारा जारी/निर्धारित वित्त हस्त पुस्तिकाओं सुगम सेवा नियम एवं शासनादेश संग्रह में निर्देशित नियमों का पालन करते हुए समस्त अधिकारी /कर्मचारी कार्यों का निष्पादन करते हैं। उक्त सादे अभिलेख/दस्तावेज संस्था के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

मैनुअल संख्या 10

अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक और उसके निर्धारण की पद्धति संस्था में शिक्षण एवं शिक्षणतर कार्यों के सम्पादन हेतु मैनुअल क्रम संख्या 09 में अंकित किये गये अधिकारी / कर्मचारी इस संस्था में कार्यरत हैं। शासन द्वारा सृजित पदों पर उक्त समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को निम्न स्वीकृति वेतनमानों में नियमानुसार वेतन निर्धारित करते हुए मासिक वेतन भुगतान किया जाता है।

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड वेतन	7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल
1	प्रधानाचार्य	15600—39100	7600	12
2	विभागाध्यक्ष	15600—39100	6600	11
3	व्याख्याता	15600—39100	5400	10
4	कर्मशाला अनुदेशक	9300—34800	4600	07
5	प्रधान, सहायक	9300—34800	4200	06
6	लेखाकार	5200—20200	2800	05
7	वैयक्तिक, सहायक	5200—20200	2800	05
8	पुस्तकालयाध्यक्ष	5200—20200	2800	05
9	वरिष्ठ सहायक	5200—20200	2800	05
10	कम्प्यूटर प्रोगामर	5200—20200	2800	05
11	कनिष्ठ सहायक	5200—20200	2000	03
12	लैब परिचर	5200—20200	2000	03
13	चौकीदार	आउट सोर्स	500 प्रतिदिन	

नव नियुक्ति अधिकारी / कर्मचारी को निर्धारित सम्बन्धित वेतनक्रम के प्रारम्भिक मूल वेतन में तत्समय देय प्रतिमाह मंहगाई भत्ता तथा अन्य देय भत्ता (जैसे मकान किराया, पर्वतीय भत्ता आदि) सम्मिलित करते हुए मासिक वेतन भुगतान किया जाता है।

मैनुअल संख्या 11

प्रारूप: बी0एम008 डी0डी0ओ0 कोड0-4102
आयोजमेत्तर योजना

अनुदान सं0 011
माह- मार्च 2023

संस्था का नाम - सत्यानन्द डिमरी राजकीय पॉलीटेक्निक पॉटी बड़कोट उत्तरकाशी।

क्रं0 सं0	शीर्षक एवं मद	स्वीकृत बजट	माह का योग	पूर्व माह का योग	प्रगतिशील योग	अवशेष बजट
1	2	3	4	5	6	7
1	01 वेतन	0	6625804	519100	7144904	-7144904
2	03 मजदूरी	255000	29832	24925	57757	200243
3	06 मंहगाई भत्ते	0	2433131	197258	2630389	-2630389
4	02 यात्रा भत्ता	38000	35254	0	35254	2746
5	04 वेतन भत्ते हेतु अनुदान	0	0	0	0	0
6	06 अन्य भत्ते	0	496556	37980	534536	-534536
7	07 मानदेय	5250	0	0	0	5250
8	08 पारिश्रमिक	1329000	1062480	123690	1186170	142830
9	09 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	0	0	0	0
10	10 प्रषिक्षण व्यय	0	0	0	0	0
11	11 अनमन्यता संबंधी व्यय	0	0	0	0	0
12	13 उपापिर्जत अवकाशन	0	0	0	0	0
13	20 लेखन सामग्री एवं छपाई	27000	11975	15010	26985	15
14	21 कार्यालय फर्नीचर, उपकरण	0	0	0	0	0
15	22 कार्यालय व्यय	27000	26990	0	26990	10
16	23 किराया उपशुल्क	0	0	0	0	0
17	24 विज्ञापन एवं प्रकाशन	0	0	0	0	0
18	25 उपयोगिता बिलो का भुगतान	0	255501	78670	334171	-334171
19	26 कम्प्यूटर हार्डवेयर	600000	598559	0	598559	1441
20	27 व्यावसायिक एवं विशेष सेवा	670000	447083	46333	493416	176584
21	30 आतिथ्य व्यय	7500	6500	1000	7500	0
22	40 मशीन उपकरण, सज्जा	120000	99964	20036	120000	0
23	42 अन्य व्यय	0	0	0	0	0
24	44 सामग्री / सम्पूर्ति	160000	84920	42164	127084	32916
25	51 अनुरक्षण	500000	499470	0	499470	530
26	52 लघुनिर्माण	61000	19992	40975	609467	33
27	53 वृहद निर्माण	0	0	0	0	0
	महायोग	3799750	12734011	1147141	13881152	-10081402

मैनुअल संख्या 15

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना को ई-मेल द्वारा संस्था में भेजा एवं मंगाया जा सकता है संस्था में इन्टर नेट उपलब्ध है जिसकी दूरभाष संख्या 9411983677 है । इसी सम्बन्ध में इन्टरनेट के माध्यम से कोई नागरिक सूचना भेजना चाहते हैं। तो संस्था की ई-मेल आईडी gpbarkot@gmail.com पर भेज सकते हैं। जिसके निराकरण शीघ्रातिशीघ्र किया जाता है ।संस्था के सम्बन्ध में समस्त सूचनायें संस्था की बेबसाइड www.gpbarkot.org.inमें उपलब्ध है।

मैनुअल संख्या-16

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी हो तो उसका विवरण सूचना प्राप्त करने के लिए संस्था की बेबसाइड www.gpbarkot.org.in इन्टरनेट पर उपलब्ध है जिसके द्वारा संस्था से सम्बन्धित किसी भी सूचना को डाउनलोड किया जा सकता है तथा ई-मेल gpbarkot@gmail.com जिस पर सूचना मेल की जा सकती है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सत्यानन्द ड़िमरी राजकीय पॉलीटेक्निक पौंटी बड़कोट उत्तरकाशी की आद्योपान्त सूचना की प्रति संस्था पुस्तकालय में उपलब्ध है जिसे कोई भी लोक सेवक , जनता का प्रतिनिधि या अन्य नागरिक देख सकता है।